

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

--: आदेश ::--

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक-1077 /164/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जानें के प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 576-77/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा अमान्य किया गया है, के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

3. संस्थाओं से प्राप्त प्रथम 'रिव्यू' आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रकरणवार प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-


| सरल क्रमांक | बिन्दु | विवरण |
|-------------|---|---|
| 1 | समिति का नाम | विकास एजुकेशन एण्ड एनवायरमेंट एकेडमी समिति ग्वालियर |
| 2 | विद्यमान महाविद्यालय का नाम | व्ही0ई0ई0 एकेडमी शालापुरा ग्वालियर |
| 3 | आवेदित नवीन पाठ्यक्रम | पीजीडीसीए |
| 4 | आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम | निरक |
| 5 | आदेश क्रमांक - 576-77/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण | समिति के नवीन सदस्यों की धारा 27की अनुमोदित सूची, ईपीएफ कटोत्रा के दस्तावेज पर्याप्त न होने कारण निरन्तरता के पाठ्यक्रमों की अनुशंसा की जाती है, नवीन पाठ्यक्रमों की अनुशंसा नहीं की जाती है। |
| 6 | प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष | ईपीएफ कटोत्रा के दस्तावेज मान्य योग्य नहीं। |

| | | | |
|---|---|------------------|-----------|
| 7 | प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय | | |
| | आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। | मान्य पाठ्यक्रम | —निरंक— |
| | आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है। | अमान्य पाठ्यक्रम | पीजीडीसीए |

4. संस्था द्वारा ईपीएफ के नियमों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटोत्रा कर इस कायलय को अवगत कराया जाए।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।


“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक—/078/164/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक— 10/04/2017.
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश।
- 4- कुल सचिव, जीवाजी क्विविद्यालय, ग्वालियर मध्यप्रदेश।
- 5- प्राचार्य, समस्त संबन्धी अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव, मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आक्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक- 1079 /149/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 576-77/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा अमान्य किया गया है, के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

3. संस्थाओं से प्राप्त प्रथम 'रिव्यू' आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रकरणवार प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

| सरल क्रमांक | बिन्दु | विवरण |
|-------------|---|--|
| 1 | समिति का नाम | मनदीप हायर एजु0 सोसा0 ग्वालियर |
| 2 | विद्यमान महाविद्यालय का नाम | जैन कालेज, लश्कर ग्वालियर |
| 3 | आवेदित नवीन पाठ्यक्रम | बी0काम0-प्रथम |
| 4 | आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम | बी0ए0-तृतीय-अर्थशा.राजनीति,समाजशा., बी0एससी0-तृतीय-भौतिक, गणित,कम्प्यूटर |
| 5 | आदेश क्रमांक - 576-77/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण | गत वर्ष की एन.ओ.सी की शर्तों की पूर्ति नहीं, गत सत्र का परीक्षा परिणाम, प्रवेशित छात्रों की सूची, कोड 28 में नियुक्ति संबंधी पत्र में विषय का उल्लेख नहीं, छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क का विवरण के दस्तावेज आदि की पूर्ति नहीं, अन्य विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम नहीं संचालित करने का घोषणा पत्र। |
| 6 | प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष | पत्र दि0 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने के कारणों की समस्त पूर्तिया संस्था द्वारा कर दी गई है। |

| | | | |
|---|---|------------------|---|
| 7 | प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय | | |
| | आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। | मान्य पाठ्यक्रम | बी0काम0-प्रथम बी0ए0-तृतीय-अर्थशा.राजनीति,समाजशा. बी0एससी0-तृतीय-भौतिक, गणित,कम्प्युटर |
| | आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है। | अमान्य पाठ्यक्रम | —निरंक— |

4. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

5. संस्था द्वारा ईपीएफ के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कायलय को अवगत कराया जाए।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक-1080/149/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको.,भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश।
- 4- कुल सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर मध्यप्रदेश।
- 5- प्राचार्य, समस्त संबन्धी अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव, मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

--: आदेश ::-कोड-0

भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

क्रमांक- 1082 /144/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 576-77/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा अमान्य किया गया है, के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

3. संस्थाओं से प्राप्त प्रथम 'रिव्यू' आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रकरणवार प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-



| सरल क्रमांक | बिन्दु | विवरण |
|-------------|---|---|
| 1 | समिति का नाम | कृष्णा वलदेव लोक शिक्षण संस्थान ग्वालियर |
| 2 | विद्यमान महाविद्यालय का नाम | एस0पी0एस0 इंस्टी0 आफ प्रोफेशनल स्टडीज, पचेरा मेहगांव जिला भिण्ड |
| 3 | आवेदित नवीन पाठ्यक्रम | निरंक |
| 4 | आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम | 1. बी0एससी0-द्वितीय भौतिक, गणित, रसायन, वनस्पति प्राणीशास्त्र |
| 5 | आदेश क्रमांक - 576-77/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण | समिति के नवीन सदस्यों की धारा 27 की सूची, वेतनमान भुगतान किये जाने का बैंक विवरण पत्रक, गत वर्ष का परीक्षा परिणाम एवं प्रवेशित छात्र संख्या ईपीएफ कटोत्रा आदि के दस्तावेज मान्य योग्य नहीं। |
| 6 | प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष | वेतन बैंक से भुगतान का प्रमाण नहीं, ईपीएफ कटोत्रा के दस्तावेज नहीं हैं। |

| | | | |
|---|---|------------------|---|
| 7 | प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय | | |
| | आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। | मान्य पाठ्यक्रम | —निरंक— |
| | आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है। | अमान्य पाठ्यक्रम | 1. बी०एससी०-द्वितीय भौतिक, गणित, रसायन, वनस्पति प्राणीशास्त्र |

4. संस्था द्वारा ईपीएफ के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटोत्रा कर इस कायलय को अवगत कराया जाए।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।



"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
 उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 1024/144/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म०प्र०)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश।
- 4- कुल सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर मध्यप्रदेश।
- 5- प्राचार्य, समस्त संबन्धी अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव, मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आक्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
 उच्च शिक्षा, म.प्र.